राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 295/2014

राजेन्द्र प्रसाद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला परिषद हनुमानगढ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हनुमानगढ।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नोहर, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.11.2014
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रमेश कुमार प्रजापत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"It is, therefore, most humbly and respectfully prayed that this appeal may kindly be allowed and by an appropriate order or direction:-

1. The respondents may kindly be directed to grant the benefit of selection grade appellant w.e.f. the date of his to the initial appointment i.e. 26.6.1997 with all consequential benefits;

2. The respondents may kindly be directed to grant the confirmation / regularization of service of the appellant from the date of his initial appointment and joining i.e. 26.06.1997.

3. Any other relief/reliefs which this Hon'ble Court may deem just and proper in the facts and circumstances of the case, may also be granted in favour of the appellant."

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में वित्त विभाग की सिफारिशों के अनुसरण में दिनांक 13.06.1997 के आदेश के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 115 पद स्वीकृत किए। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 83 पर अंकित है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 13.06.1997 द्वारा वेतन श्रृंखला 1400–40–1600–50–2300–60–2600 पर छः महीने की अवधि के लिए या जूनियर इंजीनियर की नियमित भर्ती की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी वर्ष 1997 से आज तक बिना किसी शिकायत के विभाग में लगातार अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। हालाँकि, अपीलार्थी के प्रारंभिक नियुक्ति आदेश में निर्धारित शर्त अर्थात 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद भी, कई वर्षों तक, अपीलार्थी की सेवाओं की पुष्टि नहीं की गई और वह वर्ष 2009 तक कार्य करता रहा। वर्ष 2009 में दिनांक 16.06.2009 को, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी की सेवाओं की पुष्टि आदेश दिनांक 16.06.2009 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 29.09.2008 से की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि के लिए एक वरिष्ठता–सूची भी प्रकाशित की, जो अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 01.10.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 01.04.2008 से समान स्थिति वाले व्यक्तियों की भी पुष्टि की गई थी। इस संबंध में माननीय अधिकरण के ध्यान में यह तथ्य लाना प्रासंगिक है कि दिनांक 01.04.2008 से सेवा में समान व्यक्तियों की पुष्टि की गई है, लेकिन जहां तक अन्य सेवा लाभों का संबंध है, जो उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से देने का आदेश दिया गया है और राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश के दृष्टिगत अपीलार्थी भी सेवाओं के अन्य सभी लाभ उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गणना कर चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी वर्ष 1997 में नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 26.06.1997 को कार्यग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 25.06.2006 को 9 साल की सेवा पूरी करने पर प्रथम चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा पत्र दिनांक 12.02.2014 (अनुलग्नक–5) द्वारा उप शासन सचिव (प्रशासन–2) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 28.3.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया है कि अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 29–9–2008 को नियमित कर दी गई थीं, इसलिए, वह 9 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर दिनांक 28.06.2008 से चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 26.6.1997 से उनकी सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्ष की अवधि पर दिनांक 26.06.2006 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया (अनुलग्नक–7)। जिस पर आज दिनांक तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं

की गई और अपीलार्थी को मौखिक रूप से बताया गया है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा उक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थी ने अधिकरण में अपील दायर करने से पहले माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6814/2014 दायर की थी, जो आदेश दिनांक 14.10.2014 को अधिकरण में अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की गई (अनुलग्नक–8)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 26.06.1997 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जावें। साथ ही अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण की तिथि 26.06.1997 से उसकी सेवा की पुष्टि/नियमितीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.1997 द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। साथ ही निवेदन किया कि सेवाओं की गणना नियमितीकरण की तिथि से होती हैं और अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 29.09.2008 से की गई है। अतः अपीलार्थी चयनित वेतनमान सेवाएं नियमित करने की तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित नियुक्ति के पश्चात ही सेवा संबंधी परिलाभ प्राप्त होते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि 26.06.1997 से चयनित वेतनमान और अन्य परिलाभ दिये जाने का निवेदन किया है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि 26.06.1997 से ही नियमित/स्थाईकरण किया जावे। उभयपक्ष के तर्कों एवं उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.1997 द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर वेतन श्रृंखला 1400–40–1600–50– 2300–60–2600 पर छः महीने की अवधि के लिए या जूनियर इंजीनियर की नियमित भर्ती की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–83 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी सहित 136 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 16.09.2009 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 29.09.2008 से

सेवाओं को नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2010 के संदर्भ में जारी की गई। जिसमें क्रम संख्या–56 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है और जिसमें सेवाओं की नियमितीकरण की तिथि 29.09.2008 अंकित है। अपीलार्थी द्वारा नियमितीकरण के आदेश दिनांक 16.09.2009 और वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2010 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि 26.06.1997 से सेवाओं की गणना कर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान प्राप्त करने हेतु प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को प्रेषित किया गया। जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी की सेवा दिनांक 29.09.2008 से नियमति की गई है और चयनित वेतनमान नियमितीकरण की दिनांक से 9 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने के पश्चात देय है। अपील के अनुसार कृषि विभाग द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं दिनांक 01.04.2008 से नियमित की गई है। अतः अपीलार्थी की सेवाएं भी उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमित की जावें। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वार अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट को निस्तारित किया गया। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान एवं अन्य परिलाभ दिये जाकर प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमितीकरण किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया गया कि सेवाओं की गणना नियमितीकरण की तिथि से होती हैं और अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 29.09.2008 से की गई है। अतः अपीलार्थी चयनित वेतनमान सेवाएं नियमित करने की तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित नियुक्ति के पश्चात ही सेवा संबंधी परिलाभ प्राप्त होते है। राज्य सरकार बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा निर्णय कर अभिनिर्धारित किया है कि नियमित नियुक्ति तिथि से कर्मचारी चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया हैः–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"
उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—
37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.
38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.
39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.
40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.
41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आवश्यक रूप से पूर्णतया अस्थायी आधार पर की गई थी,

जिसे छः महीने की अवधि के लिए या कनिष्ठ अभियंता की नियमित भर्ती की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। नियमित नियुक्ति से पूर्व के दैनिक भत्ते के रूप में अथवा तदर्थ/अस्थायी आधार पर कार्य करने की अवधि को जोडकर चयनित वेतनमान एवं अन्य सेवा परिलाभ देने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। यह समस्त परिलाभ नियमित नियुक्ति तिथि/नियमितीकरण तिथि से ही देय होते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य